43

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

PBR/निगरानी/रतलाम/भू०रा/2017/3682 निगरानी प्र.क. /2017

रूपेश तिवारी पिता सुरेश तिवारी जाति ब्राहम्ण आयु 38 वर्ष धंधा कृषि एवं नौकरी, कृषक ग्राम ढोढर, निवासी 110, पिपलीनाका, महावीर मार्ग उज्जैन जिला उज्जैन म.प्र.

:— आवेदक/पुनर्निरिक्षणकर्ता

प्रार्थी अभिभाषक श्री .... द्वारा प्रस्तुत
दिनांक ...11-09-2017
अधीक्षक 11-9-2017
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1. नन्दलाल पिता मांगु गायरी
2. सुखराम पिता मांगु गायरी
3. कान्ताबाई पुत्री मांगु गायरी
4. कमलीबाई विधवा मांगु गायरी
   निवासीगण ग्राम ढोढर हालमुकाम ग्राम धामेड़ी तहसील पिपलौदा जिला रतलाम म.प्र.
5. कारूलाल पिता बगदीरामजी जाति गायरी
6. विष्णु पिता बगदीराम गायरी
7. कुशालबाई पुत्री बगदीराम गायरी
8. बगदीबाई विधवा रमेश गायरी
9. प्रकाश पिता रमेश गायरी
10. शिवनारायण पिता रमेश गायरी
11. अनुसुईयाबाई पिता रमेश गायरी
12. बाबरू पिता भगवान गायरी
13. सेवा पिता रूपाजी गायरी
14. उदा पिता रूपाजी गायरी
15. मोहनलाल पिता देवा गायरी
16. प्रभुलाल पिता देवा गायरी
17. राजू पिता देवा गायरी
18. भुलीबाई पुत्री देवा गायरी
19. सुन्दरबाई पुत्री देवा गायरी
20. हिराबाई पुत्री देवा गायरी
21. मैनाबाई विधवा देवाजी जाति गायरी
    निवासीगण कमांक 5 लगायत 21
    ग्राम ढोढर तहसील जावरा जिला रतलाम म.प्र. :— अनावेदकगण

24/10/17 FOR

निरन्तर पेज 2

Tiwari

निगरानी अन्तर्गत आदेश दिनांक 31/07/2017 रूपेश तिवारी विरूद्ध नन्दलाल आदि प्रकरण कमांक 37अ6/2016-17 न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय जावरा टप्पा तहसील ढोढर पीठासीन अधिकारी श्री टांक साहब के आदेश से असंतुष्ट होने से पुनर्निरीक्षण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर महोदय,

आवेदक/पुनर्निरिक्षणकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 21 के स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम ढोढर तहसील जावरा में स्थित होकर अनावेदक कमांक 1 लगायत 21 का मौखिक बंटवारा होने से अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के हिस्से एवं स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 1082 मीन रकबा 1.18 आरे स्थित ग्राम ढोढर तहसील जावरा की होकर अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 ने उक्त सर्वे कमांक 1082 मीन में से 0.66 आरे भूमि आवेदक/पुनर्निरिक्षणकर्ता को रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर दिनांक 10/04/2014 को विकय कर दी, तभी से आवेदक/पुनर्निरिक्षणकर्ता उक्त भूमि पर आधिपत्यधारी होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। आवेदक/पुनर्निरिक्षणकर्ता द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 10/04/2014 अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया तथा नामान्तरण के आवेदन के साथ अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 ने सहमति स्वरूप शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया, उक्त शपथ पत्रों के आधार पर आवेदक/पुनर्निरिक्षणकर्ता का नामान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की।

2. यह है कि दौराने प्रकरण अनावेदक कमांक 6 ने अधिनस्थ न्यायालय में असत्य आधारों पर आपत्ति प्रस्तुत की तथा अधिनस्थ न्यायालय में शेष अनावेदकगण को आवेदक/पुनर्निरिक्षणकर्ता के पक्ष में

43

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/3682

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** 3 43	